न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 859/2024
अनवान : –

1. सरोज पुत्री कृष्ण कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कानसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. प्रेमचन्द पुत्र कृष्ण कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. परमेश्वरी पत्नी कृष्ण कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक खुंईया तहसील नोहर।
5. रमेश कुमार पुत्र सोहनलाल जाति कुम्हार साकिन कानसर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता **प्रतिवादी स0 5**

निर्णय दिनांकः 10/7/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 905/480 की कुल 3.4790 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रतिवादी स0 1 जो की वादीया का सगा भाई है ने वादीया व प्रतिवादीगण स0 2 को उसके हक हिस्सा से महरूम करते हुए समस्त भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली ह तथा प्रतिवादी स0 1 उक्त वाद भूमि को रहन बैय करना चाहता है जिससे वादीया को अपूर्णीय क्षति होगी क्योंकि उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादीया का भी हक हिस्सा है।

वादीया ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 5 ने जवाब पेश किया की उक्त वाद भूमि प्रतिवादी स0 5 ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा 1.2650 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 से खरीद की है जो की प्रतिवादी स0 5 के कब्जा काश्त में है। वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व 5 ने राजीनामा पेश किया की वादी व प्रतिवादीगण का राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा विवादीत भूमि रोही मोजा कानसर के खसरा न0 1640/18 की कुल 3.4790 हैक्ट भूमि में से 1.012 हैक्ट भूमि वादीया की होगी एवं 1.202 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की होगी एवं 1.265 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 5 की होगी प्रतिवादी स0 2 ने अपना हक हिस्सा पूर्व में अपने पुत्र के पक्ष में त्याग कर दिया था अतः प्रतिवादी स0 2 का कोई हक हिस्सा शेष नही बचा है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:26:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में उभयपक्षों का राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष ने निवेदन किया की मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 905/480 की कुल 3.4790 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि प्रतिवादी स0 2 ने अपना हक हिस्सा अपने पुत्र के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा रोही मोजा कानसर के खसरा न0 1640/18 की कुल 3.4790 हैक्ट भूमि में से 1.012 हैक्ट भूमि वादीया की होगी एवं 1.202 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की होगी तथा 1.265 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 5 की होगी मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं उभयपक्ष के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा उभयपक्षों के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा कानसर के खाता स0 905/480 के खसरा न0 1640/18 की कुल 3.4790 हैक्ट भूमि में से 1.012 हैक्ट भूमि वादीया का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 1.202 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1.265 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/[illegible] को [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:26:52 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 859 / 2024

अनवान : –

1. सरोज पुत्री कृष्ण कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कानसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. प्रेमचन्द पुत्र कृष्ण कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. परमेश्वरी पत्नी कृष्ण कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक खुंईया तहसील नोहर।
5. रमेश कुमार पुत्र सोहनलाल जाति कुम्हार साकिन कानसर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 859 सन 2024 निर्णय दिनांक 10/7/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा कानसर के खाता स0 905 / 480 के खसरा न0 1640 / 18 की कुल 3.4790 हैक्ट भूमि में से 1.012 हैक्ट भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 1.202 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1.265 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/7/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:26:52 IST
Reason: SelfAttested